न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बिन्दु देवी बनाम गोपाल पटेल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. — 122/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-2-23 को पेश हो।	
2-2-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-2-23 को पेश हो।	
13-2-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-2-23 को पेश हो।	
13-2-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-2-23 को पेश हो।	
17-2-23	इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुयी। पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/2/23 को पेश हो।	
21.04.23	दिनांक 22.02.23 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाकर प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मैयाद मय बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 21/04/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
128/2020	2020/00224	22.12.2020	21.04.2023 (निर्णय)

उनवान प्रकरण

1. बिन्दु कंवर पत्नि नरपतसिंह आयु 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--वादीया--

बनाम्

1. गोपाल पटेल पुत्र भूराराम गुजर मृत्तक के बजाय

   1/1. कमली देवी पत्नि गोपाल पटेल

   1/2. मामराज पुत्र गोपाल पटेल

   1/3.इन्द्रराज पुत्र गोपाल पटेल

   1/4.महेन्द्र पुत्र गोपाल पटेल

   1/5.माकुरी पुत्री गोपाल पटेल

   1/6.संतोष पुत्री गोपाल पटेल

   1/7.किरण पुत्री गोपाल पटेल

   जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

2. पूरण पुत्र दुर्गाप्रसाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

21/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3.मोहन पुत्र दुर्गाप्रसाद

4.विजय कुमार उर्फ बजरंगलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद

5.बिमला देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद

6.सुमित्रा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद

7.संतोष देवी उर्फ सविता पुत्री दुर्गाप्रसाद

8.सुमन देवी उर्फ सुनिता पुत्री दुर्गाप्रसाद

9.रमेशचन्द्र पुत्र भूरा मृतक के बजाय

9/1.कमला देवी पत्नि रमेशचन्द्र

9/2.अशोक कुमार पुत्र रमेशचन्द्र

9/3.अनीता पुत्री रमेश चन्द्र

समस्त जाति खाती निवासीगण ग्राम सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

10.रामकरण पुत्र हरदेव मृत्तक के बजायः–

10/1.कोयली देवी पत्नि स्व0 रामकरण

10/2.पप्पूराम पुत्र स्व0 रामकरण

10/3.विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामकरण

10/4.हंसा देवी पुत्री स्व0 रामकरण

10/5.संतोष देवी पुत्री स्व0 रामकरण

10/6.आशा देवी पुत्री स्व0 रामकरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी तन् हाथदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

11. लैण्ड जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

12. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर

13. लालसिंह पुत्र रूघवीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

--प्रतिवादीगण--

उपस्थितः-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादी नम्बर 1/1 से 1/7 व 13 अभिभाषक।

श्री नरेश कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण नम्बर 10/1 ता 10/6 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नम्बर 11 की ओर से।

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 487 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी [illegible] की खातेदारी वादीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

21/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम एवं शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 10 के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकित है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 486 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.28 हैक्टर तन् ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी 631/2799 हिस्से की खातेदारी वादीया के नाम एवं शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 9 एंव प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 8 के पिता/पति स्व. दुर्गाप्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकित है। उक्त वर्णित भूमि वादीया एंव प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमिया है। उक्त दर्ज भूमियो का अभी तक कोई विधिक बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में वर्तमान समय में जमीनो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण बदयान्ति आ गयी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को लेकर बुवाई जुताई व हिस्से, पुळे का आये दिन अनावश्यक रूप से वाद-विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में प्रतिवादीगण आये दिन अवरोध कारित करते रहते है तथा बात-बात को लेकर झगड़े फिसाद एंव मरमार करने पर उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादीया का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीया अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एंव उपयोग-उपभोग करने से महरूम हो रही है। इसलिये वादीया के पास अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित व आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि की बढ़ती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओ को विशिष्ठ भू भाग को बैचान करने एंव जबरन विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा कराने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नहीं रहे है तथा धमकी दे रहे हैं कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करके वादीया को शामलाती भूमि से बेदखल करेगें तथा भूमि को अकृषि भूमि मे बदलेगें एंव दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को विक्रय करेगें। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाती पैतृक भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वंय का कब्जा कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीया के भूमि मुतनाजा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ...)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। वादीया अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगी। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीया को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीया जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की कानूनी अधिकारी है एंव प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निशेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। वादीया व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा हैं। इसलिए वादीया ने उपरोक्त भूमियों का बटंवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कंहा तो वे आजकल-आजकल करते रहें तथा दिनांक 11.11.2020 को प्रतिवादीगण ने वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियो का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ट एंव उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एंव कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एंव दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमि का छोटे-छोटे भूखण्डो में बेचान करने की एहलानिया धमकी देने से वादकारण पैदा हुआ हैं। इस पर वादीया क बाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवांदी नम्बर 1 की ओर से जितेन्द्र कुमार गौड, एडवोकेट उपस्थित आये एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 के फौत होने पर उनका कायम मुकामान् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 के कायम मुकामान् वारिसान् 10/1 से 10/6 की ओर से नरेश कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादिया ने वादग्रस्त आराजी भूमियो का वादीया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर [illegible] सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीया व प्रतिवादीगण का [illegible] रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग [illegible] कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

21/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिस पर वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी-अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उभय पक्षकारान् अधिवक्तागणो ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकुलाय उभय पक्षकारान् के सहमत होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की प्रारम्भिक डिक्री हेतु बहस सुनकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.09.2022 को जारी की। प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के फौत होने पर उनके कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा उनके कानूनी वारिसान रिकार्ड पर लिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7, 8 का वादीया का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार होने पर नाम शुद्ध किया गया व वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत् बनाने पक्षकार 'ााखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक हरदासकाबास पेश किया गया जिसे स्वीकार कर बतौर प्रतिवादी नम्बर 12 पक्षकार बनाया गया व लालसिंह पुत्र रूघवीरसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया जिसे वकील वादीया की अनापत्ति पर स्वीकार कर लालसिंह पुत्र रूघवीरसिंह बतौर प्रतिवादी नम्बर 13 प्रतिस्थापित किया गया । तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादीया व प्रतिवादीगण ने बहस अन्तिम सुने जाने का निवेदन किया। बहस अन्तिम सुनी गई जिसमें वादीया ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/6 ने सहमति व्यक्त की तथा प्रतिवादी नम्बर 10/1 ता 10/6 ने प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 के पिता पर बेईमानी से जमीन अ[illegible] कराने का मौखिक आरोप लगाया लेकिन वकील प्रतिवादी नम्बर [illegible] कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसमें प्रतिवादी नम्बर 10/1 ता 10/6 उनके पिता स्व0 रामकरण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

21/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फा[illegible])
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी नम्बर 1/1 ता 1/6 पर या उनके पिता स्व0 गोपाल पर किसी भी प्रकार का इस भूमि बाबत कोर्ट सिविल/फौजदारी मुकदमा कर रखा है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 10/1 ता 10/6 प्रतिवादी नम्बर 1/1 ता 1/6 पर लगाये गए आक्षेपो को साबित नही कर सका है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 14.09.2022 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिए पत्रांक क्रमांक/भू.अ./23/298 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार वादिया का भूमि खसरा नम्बर 486/3 रकबा 0.0275 है0 व खसरा नम्बर 487/3 रकबा 0.0373 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टर पर व प्रतिवादी नम्बर 13 लालसिंह पुत्र रघवीरसिंह का 486/4 रकबा 0.0745 है0 व खसरा नम्बर 487/4 रकबा 0.0324 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1069 हैक्टर पर व प्रतिवादी नम्बर 10/1 से 10/6 का 487/1 रकबा 0.0272 हैक्टर पर व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 8 का 486/2 रकबा 0.0367 है0 व 487/2 रकबा 0.0566 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0933 हैक्टर पर व प्रतिवादी नम्बर 9/1 से 9/3 का 486/1 कुल रकबा 0.0933 हैक्टर पर व प्रतिवादी नम्बर 1/1 से 1/7 का खसरा नम्बर 486/5 रकबा 0.0480 है0 व खसरा नम्बर 487/5 रकबा 0.0365 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0845 हैक्टर पर मौके पर कब्जा है। अतः वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिए पत्रांक क्रमांक/भू.अ./23/298 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग बनाया जाता है व बैंक ऋण सम्बन्धित पक्षकार के हिस्से पर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं डिक्री किया जाता [illegible] तथा तहसीलदार (भू.अ.)

21/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर के जरिए पत्रांक क्रमांक/भू.अ./23/298 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें व बैंक ऋण सम्बन्धित पक्षकार के हिस्से पर रखा जावें। इसी भांति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/04/23

(दिलीप सिंह) दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/04/23

(दिलीप सिंह) दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.10 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested